

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून

पत्रांक 1024/विकास कार्य/नि0सू0/2023-24

दिनांक 16.01.2024

शुद्धि पत्र

प्राधिकरण कार्यालय के पत्रांक 1008/विकास कार्य/नि0सू0/2023-24, दिनांक 10.01.2024 के द्वारा 03 विकास कार्य (जिसमें क्रमांक 01 से 02 सिविल एवं क्रमांक 03 पर विद्युत सम्बन्धी कार्य) हेतु निविदा ऑनलाईन के माध्यम से दिनांक 17.01.2024 को अपरान्ह 2 बजे तक आमंत्रित की गयी थी। जिसे दिनांक 11.01.2024 को दैनिक जागरण समाचार पत्र में प्रकाशित कराया गया। uktenders.gov.in की साईट पर तकनीकी कारणों से दिनांक 17.01.2024 के स्थान पर उक्त टैण्डर में वर्णित क्रमांक 01 व 02 के विकास कार्य दिनांक 22.01.2024 को अपरान्ह 02-00 बजे तक पुनः आमंत्रित की जाती है। विस्तृत विवरण टेन्डर वैबसाईट mddaonline.in पर उपलब्ध है।


अधिरासी अभियन्ता,
म.दे.वि.प्रा. दे.दून।

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

पत्रांक/004/विकास कार्य/नि0सू0/2023-24

दिनांक/0 जनवरी, 2024

ई-निविदा सूचना

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून द्वारा प्राधिकरण में पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मों जो आयकर, व्यापार कर/जी0एस0टी0 देहरादून में भी पंजीकृत हों, ऐसे फर्म/ठेकेदार अपनी श्रेणी के अनुसार नीचे वर्णित कुल 03 विकास कार्य (दो सिविल एवं एक विद्युत सम्बन्धी कार्य) को करने हेतु निविदा फार्म/बिल ऑफ क्वान्टिटी के साथ संलग्नक में अंकित विशिष्टियों हेतु ई-निविदा दिनांक 17-01-2024 को अपरान्ह 2-00 बजे तक uktenders.gov.in की बैबसाईट में प्रतिभाग/अपलोड कर सकते हैं। प्राप्त ई निविदाओं को निविदा समिति/अधिकृत प्राधिकारी द्वारा दिनांक 18-01-2024 को सांय 2-00 उपरान्त उपस्थित निविदादाताओं/प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी। नियत तिथि के उपरान्त प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। आगणना में अंकित विशिष्टियों की मात्रा पूर्णतः अनुमानित है इसमें परिवर्तन (घटत/बढत) सम्भावित है परन्तु भुगतान वास्तविक कार्य के माप/आंकलन के आधार पर किया जायेगा।

इच्छुक प्राधिकरण में पंजीकृत ठेकेदार/फर्मों द्वारा उक्त कार्य हेतु निविदा मूल्य की धनराशि का पे-आर्डर जो सचिव, म0दे0वि0प्रा0 के पक्ष में हो, एवं निर्धारित राशि की धरोहर राशि जो एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0/एन0एस0सी0 के रूप में होगी, तथा अधिशासी अभियंता, म0दे0वि0प्रा0 के नाम बन्धक होगी, को निविदा शर्तों के अनुसार अन्य अभिलेखों के साथ उक्त बैबसाईट में उक्त तिथि व समय तक निविदा प्रस्ताव के साथ स्कैन करना होगा तथा इन सभी की मूल प्रति दिनांक 17-01-2024 को अपरान्ह 2-00 बजे प्राधिकरण के सम्बन्धित अभियंत्रण अनुभाग में जमा करनी होगी। निर्धारित समय तक धरोहर राशि की एफ0डी0आर0 व निविदा मूल्य का ड्राफ्ट जमा न करने की दशा में उस फर्म की निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। अन्य शर्तों निविदा प्रपत्र, जी0पी0डब्ल्यू0-9 एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा परफारमेंस सिक्यूरिटी एवं जमानत राशि हेतु जारी शासनादेश संख्या-1197/II(2)/07-75 (सामान्य)/II दिनांक 24-2-2014 एवं अन्य के अनुसार होगी। जी0एस0टी0 नियमानुसार देय होगी/निविदाओं की वैधता 90 दिन मान्य रहेगी।

क्र० सं०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु० में) बिना जी0एस0टी0	धरोहर राशि रु०	निविदा मूल्य मय जी0एस0टी0 सहित	कार्य करने की अवधि	निविदा की वैधता
1-	विद्या विहार फेज-2 कालोनी के मुख्य मार्ग में श्री सतेन्द्र सिंह विष्ट के घर से लेकर डा0 गणेश दत्त लखेडा के घर तक सडक निर्माण कार्य	13.52	40,600.00	1770.00	02 माह	90 दिन

2-	सर्कूलर रोड पी0एन0बी0बैंक के सामने नाली का निर्माण	6.67	20,100.00	1180.00	02 माह	90
3-	रायपुर विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रान्तर्गत मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए जा रहे पार्को, सार्वजनिक स्थानों एवं चौराहों पर 10 हाईमास्ट लाइटों का कार्य	57.94	115900.00	4720	04 माह	90

अन्य नियम एवं शर्तें -1-निविदा के साथ मूल रूप में एवं ऑनलाईन निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत किए जाने अनिवार्य हैं :-

(क) निविदा वैधता, सत्यता और शुद्धता, लिटिगेशन, निविदा समिति के निर्णय/नो-क्लेम व नो-डयूज के सम्बन्ध में रू0-100 के स्टाम्प पेपर एवं रू0-01 के रसीदी टिकट के साथ नोटरीज हस्ताक्षरित शपथ पत्र

(ख) उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-770/III(2) 17-20 (सामान्य)/2011 टी0सी0 दिनांक 12-06-2017 के अनुसार विभागीय दरों से पांच प्रतिशत से कम दरों पर निविदा देने पर अतिरिक्त परफारमेंस सेक्योरिटी नियमानुसार जमा करानी होगी।

(ग) प्राधिकरण को बिना कारण बताये निविदा को निरस्त करने का अधिकार होगा।

(घ) निविदा में प्रतिभाग करने में दूरसंचार एवं निविदा को वेबसाईट पर तकनीकी खराबी आदि से निविदादाता को होने वाली कठिनाईयों हेतु प्राधिकरण जिम्मेदार नहीं होगा।

अधिशायी अभियंता, म0दे0वि0प्रा0, देहरादून।

प्रतिलिपि :-1-सचिव, म0दे0वि0प्रा0, देहरादून।

2-मुख्य लेखाधिकारी, म0दे0वि0प्रा0, देहरादून।

3-अधीक्षण अभियंता, म0दे0वि0प्रा0, देहरादून।

4-नगर निगम/लोक निर्माण विभाग/जिला परिषद/सिंचाई विभाग के नोटिस बोर्डों पर चस्पा किए जाने हेतु

5-नाजिर को इस आशय से प्रेषित कि वह उक्त विज्ञप्ति को दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराकर अखबार की प्रति इस अनुभाग को उपलब्ध कराये।

6-आई0टी0 अनुभाग को इस आशय से प्रेषित कि विज्ञप्ति को वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

7-प्राधिकरण नोटिस बोर्ड पर चस्पा किए जाने हेतु

8-समस्त पत्रावली पर संलग्न किए जाने हेतु

अधिशायी अभियंता, म0दे0वि0प्रा0, देहरादून।